न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

प्रेमराज व अन्य

बनाम

रामलाल इत्यादि

उपस्थित

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन

आदेश

दिनांक 14 मई 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 92/2022 अनवान रामलाल व अन्य बनाम प्रेमराज इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 मार्च 2022 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 17 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट्स की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 407/1 के खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को नोटिस जारी किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के बाद आदेश 39

	के प्रावधानों की भी पालना नहीं की गई है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट्स की ओर से जो विभाजन की डिक्री पारित करवायी गई है, वह निरस्त हो चुकी है। इस प्रकार निरस्त डिक्री के इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेंट्स किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है तथा रेस्पोडेंट्स द्वारा आदेश 39 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट्स की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा मामले में बहस सुनकर निस्तारण नहीं किया जा रहा है। रेस्पोडेंट्स अपीलांट्स को परेशान करने के लिए बार-बार पुलिस बुला रहे है तथा अपीलांट्स के घर में खाली बोतले एवं पत्थर फेकते है। इस कारण अपीलांट्स के पास हस्तगत अपील प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा है। इस कारण न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर मयाद शुमार की जावे। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलाधीन ओश दिनांक 29 मार्च 2022 को निरस्त फरमाया जावे। जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी का बिना नाप-चौक किये वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य करने तथा रेस्पोडेंट्स को मौके से बेदखल करने पर आमादा है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। पत्रावली विचारण	

	न्यायालय में बहस के स्तर पर विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण के हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर गौर रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध अद्यतन जमाबंदी संवतः 2074-2077 जमाबंदी 2076 ग्राम पण्डितजी की ढाणी के मुताबिक अपीलांट्स खसरा नंबर 1920/407 रकबा 1.3516 हैक्टेयर तथा रेस्पोडेंट्स खसरा नंबर 1917/407 रकबा 1.0279 हैक्टेयर के रेकर्डेड खातेदार है। उक्त भूमियॉ पृथक-पृथक सीमाओं से आबद्ध होकर तरमीम सुदा है। अपीलांट्स के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 23 दिसंबर 2024 की निर्णय प्रति के मुताबिक अदालत हाजा द्वारा वादग्रस्त आराजी के विभाजन की डिक्री दिनांक 02 मार्च 2020 को निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पूर्व विभाजन की डिक्री निरस्त हो जाने से वादग्रस्त आराजी सामलाती हो चुकी है। उभय पक्ष की बहस से उक्त तथ्य सामने आया है कि उभय पक्ष में वादग्रस्त आराजीयात की सीमाओं को लेकर विवाद है तथा रेस्पोडेंट्स का कथन है कि अपीलांट्स द्वारा बिना सीमांकन करवाये सीमा पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते अपीलाधीन आदेश के जरिये वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखा गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स की ओर से अपने पुराने मकान की मरम्मत हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष निवेदन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को आदेश दिनांक 05.07.2022 के जरिये अपने पूर्व निर्मित मकान की चारदीवारी के भीतर मरम्मत/निर्माण की छूट प्रदान की जाकर	

	त्वरित अनुतोष प्रदान किया जा चुका है। वर्तमान में वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। मामला विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार त्वरित निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है ि कवह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	